ऑन लाईन नं. **RCMS 2024/159**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 12/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम जाति मेघवाल, निवासी वार्ड न. 13 अरायण, तह. श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री 16 घरेलू एलपीजी गैस सिलैण्डर मय 10.0 किलोग्राम गैस, 08 गैस कनेक्शन कॉपियों को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी श्री रतीराम उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 31.01.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वार्ड नं. 13 स्थित बाबा रामदेव मंदिर के सामने वाले घर, श्रीकरणपुर पर घरेलू गैस का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 26.09.2024 को उक्त घर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर रतीराम पुत्र श्री हरिराम जाति मेघवाल उम्र 60 साल निवासी वार्ड नं. 13 3 अरायण तहसील श्रीकरणपुर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त घर का मालिक होना बताया। श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम की उपस्थिति में घर का निरीक्षण किया गया। घर की जांच में पाया कि घर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त घर में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 8 गैस कनैक्शन कॉपियां पायी गयी। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 8 गैस कनैक्शन कॉपियां वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम के घर पर पाये गये 16 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर एवं गैस कनैक्शन कॉपियां को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रजत पुत्र श्री अश्विनी कुमार उम्र 27 साल निवासी रिद्धि सिद्धि गैस एजेंसी, पदमपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया।

श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम द्वारा द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा था। रतीराम पुत्र श्री हरिराम के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG ¼REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION½ ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

मौके से 16 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 10.0 किलोग्राम गैस 8 गैस कनैक्शन कॉपियां को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत व बेबुनियाद है। अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरो का उपयोग अवैध गैस रिफिलिंग मे नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जो सिलैण्डर बरामद होने बताये गये है, वह अप्रार्थी के नही है बल्कि प्रार्थी का घर गांव मे मेन रोड़ पर पड़ता है और गैस एजेंसी की ट्राली अप्रार्थी के घर के आगे खड़ी हो जाती है, यहां से आस पड़ौस के लोग सिलैण्डर ले जाते है, कुछ मजदूरी पेशा लोग सुबह से काम पर चले जाते है, जिनको सिलैण्डर भरवाने मे दिक्कत हो जाती है। आस पड़ौस के लोगों ने अप्रार्थी को कहा कि हम सुबह काम पर चले जाते है, आप हमारे सिलैण्डर भरवा देना, उन लोगों ने अपने खाली सिलैण्डर व पास बुक अप्रार्थी को दिये थे जो रसद विभाग द्वारा अप्रार्थी के होना मानकर जब्त कर लिये गये। रसद विभाग द्वारा जब्त किये गये सिलैण्डर व पास बुक अप्रार्थी के नहीं है, बल्कि आस पड़ौस के रहने गाव वालों के है। यह कि अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सलेण्डरो का उपयोग अवैध रिफिलिंग मे नही किया गया है, प्रार्थी पर लगाये गये आरोप झूठे व बेबुनियाद है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली दाखिल दफतर फरमाई जावे। आपकी अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि वार्ड नं. 13 स्थित बाबा रामदेव मंदिर के सामने वाले घर, श्रीकरणपुर पर घरेलू गैस का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 26.09.2024 को उक्त घर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर रतीराम पुत्र श्री हरिराम जाति मेघवाल उम्र 60 साल निवासी वार्ड नं. 13 3 अरायण तहसील श्रीकरणपुर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त घर का मालिक होना बताया। श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम की उपस्थिति में घर का निरीक्षण किया गया। घर की जांच में पाया कि घर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त घर में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 8 गैस कनैक्शन कॉपियां पायी गयी। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 8 गैस कनैक्शन कॉपियां वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम के घर पर पाये गये 16 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर एवं गैस कनैक्शन कॉपियां को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रजत पुत्र श्री अश्विनी कुमार उम्र 27 साल निवासी रिद्धि सिद्धि गैस एजेंसी, पदमपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। रतीराम पुत्र श्री हरिराम के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG ¼REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION½ ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

के तहत मौके से 16 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 10.0 किलोग्राम गैस 8 गैस कनैक्शन कॉपियां को राजसात किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वार्ड नं. 13 स्थित बाबा रामदेव मंदिर के सामने वाले घर, श्रीकरणपुर पर घरेलू गैस का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 26.09.2024 को उक्त घर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर रतीराम पुत्र श्री हरिराम जाति मेघवाल उम्र 60 साल निवासी वार्ड नं. 13 3 अरायण तहसील श्रीकरणपुर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त घर का मालिक होना बताया। श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम की उपस्थिति में घर का निरीक्षण किया गया। घर की जांच में पाया कि घर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त घर में 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 8 गैस कनैक्शन कॉपियां पायी गयी। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 8 गैस कनैक्शन कॉपियां वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री रतीराम पुत्र श्री हरिराम के घर पर पाये गये 16 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर एवं गैस कनैक्शन कॉपियां को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रजत पुत्र श्री अश्विनी कुमार उम्र 27 साल निवासी रिद्धि सिद्धि गैस एजेंसी, पदमपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। रतीराम पुत्र श्री हरिराम के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG ¼REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION½ ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से 16 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 10.0 किलोग्राम गैस 8 गैस कनैक्शन कॉपियां को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

Rea

(रीना)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)